न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 54/2013/अपील

झाबरमल शर्मा पुत्र सेवाराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रोरू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2013 मु.न. 41/2013 अनुवानी सरकार बनाम झाबरमल द्वारा न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलांट श्री अरूण कुमार शर्मा

निर्णय **दिनांकः—23.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ने शिकायतकर्ता ओमप्रकाश की शिकायत को आधार मानकर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त आलोच्य आदेश पारित किया है, उसे स्वयं को दिनांक 30.04.2013 को पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट जो कि तहसीलदार के समक्ष पेश की है, में अतिक्रमी माना है और उक्त ओमप्रकाश के कहने पर ही अपीलान्ट जो कि कमाने खाने के लिए गांव से बाहर रहता है के खिलाफ धारा 91 का नोटिस गलत आधार पर दिलवाकर तथा तामिल चस्पान्गी करवाकर उक्त अवैध कार्य करवाया गया है। जबकि उक्त खसरा नम्बर 298/2 के लिये उक्त शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ने माननीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लक्ष्मणगढ़ के यहा पर एक वाद उनवानी ओमप्रकाश बनाम मनफुल बाबत आज्ञाकारी एवं स्थायी निषेद्याज्ञा का दिनांक 02.05.13 को पेश कर दिया, जिसमें तहसीलदार भी पक्षकार है। उक्त मुकदमें के साथ दिवानी विविध का आवेदन भी पेश किया गया है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 09.07.2013 है तथा बावजूद मामले के सबज्यूडिस रहते पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आलोच्य निर्णय पारित करके भारी विधिक भूल की है, जबकि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना विधि सम्मत है तथा न्यायिक प्रकिया के लिये आवश्यक है। ओमप्रकाश द्वारा दिनांक 29.04.2013 को उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को जो शिकायत की गई थी, उसमें अपीलान्ट को खसरा नम्बर 298/2, 290, 299 जो कि चारागाह की भूमि है, पर अतिक्रमण करने बाबत शिकायत पेश गई थी तथा पटवारी हल्का को उक्त खसरो की मौका रिपोर्ट पेश करने के लिये दिनांक 30.04.2013 को आदेशित किया गया, परन्तु पटवारी द्वारा जो मौका देखा गया उसमें केवल खसरा नम्बर 298/2 के बारे में ही रिपोर्ट पेश की। उक्त शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ने तीनों खसरा नम्बरों पर अतिक्रमण कर रखा है, क्योंकि पटवारी द्वारा पेश रिपोर्ट में भी उसे अतिक्रमी मानकर तहसीलदार के समक्ष आगामी कार्यवाही धारा 91 के लिये रिपोर्ट पेश की गई है। दिनांक 31.05.2013 को शिकायतकर्ता ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायालय (क0ख0) लक्ष्मणगढ के यहा पर एक आवेदन धारा

151 सीपीसी का पेश किया है जिसमें भी उक्त अतिक्रमण को हटवाने के लिये प्रार्थना की गई है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय को मामले का निस्तारण पक्षकारो का सुनकर करना चाहिये था जो कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने नही किया है। इस प्रकार चुनौतिग्रस्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2013 को अपास्त कर मामले में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त मामले को निस्तारित करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट को जारी नोटिस का अवलोकन किया गया। अपीलांट को जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट में अंकित किया है कि झाबरमल घर पर नहीं है उसके बच्चे औरत ने नोटिस लेने से इन्कार किया। अतः उसके खुले मकान पर नोटिस एक पड़त चस्पा की गई। नोटिस चस्पानगी के समय दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांट अनुपस्थित रहा। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम रोरू बड़ी के खसरा नम्बर 298/2 रकबा 1.36 है0 किस्म चारागाह में से 0.03 है0 पर पक्का निर्माण कर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांटान द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म चारागाह है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः चारागाह भूमि पर अपलांट द्वारा पक्का निर्माण कर दीवार बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 10.06.2013 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांटान खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति॰ जिला कलेक्टर, सीकर